चिकित्सीय आपातकाल/एम्बुलेंस सेवा के लिए कृपया 112 पर डायल करें।

अण्डमान निकोबार द्वीप समाचार

बिजली चली गयी
1800–345–1111

रजि.न.34300/80 | संख्या 210 | श्री विजय पुरम, गुरूवार, 06 अगस्त 2026 | web: dt.andamannicobar.gov.in | 2.00 रूपए

सरकार ने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण के उद्देश्य और पात्रता मानदंडों को स्पष्ट किया

नई दिल्ली, 5 अगस्त। (प.सू.का.)

केंद्र सरकार ने बताया कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण नीति का उद्देश्य ऐसे आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ प्रदान करना है, जो अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) के लिए मौजूदा आरक्षण योजनाओं के दायरे में नहीं आते हैं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री बी.एल. वर्मा ने लोकसभा में श्री विजय बघेल के प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। सदन को बताया गया कि संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत संविधान में अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़े गए, जिससे शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन और सिविल पदों व सेवाओं में नियुक्तियों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत तक आरक्षण का प्रावधान किया गया।

लिखित जवाब में यह भी कहा गया है कि जिन व्यक्तियों के परिवार की कुल वार्षिक आय 8.00 लाख रुपये से कम है, उन्हें आरक्षण के उद्देश्य से आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग माना जाता है, बशर्ते वे पहले से मौजूदा आरक्षण योजनाओं के दायरे में न आते हों। हालांकि, परिवार की आय कुछ भी हो, जिन व्यक्तियों के परिवार के पास पांच एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि, 1,000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट, अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड, या अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड है, उन्हें ईडब्ल्यूएस के तौर पर नहीं माना जाएगा। छत्तीसगढ़ में ईडब्ल्यूएस आरक्षण नीति को लागू करने के संबंध में सदन को यह जानकारी दी गई कि राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022, जिसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। परिणामस्वरूप, राज्य सरकार में ईडब्ल्यूएस आरक्षण नीति लागू नहीं की गई है।

आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण के मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा या संशोधन के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में, सदन को सूचित किया गया कि मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

गुणवत्तापूर्ण एवं सतत विनिर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम

एमएसएमई से एमएसएमई सस्टेनेबल (शून्य दोष, शून्य प्रभाव–ज़ेडईडी) प्रमाणन योजना का लाभ उठाने की अपील

श्री विजय पुरम, 5 अगस्त

उद्योग विभाग के ज़िला उद्योग केंद्र (डीआईसी), अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन ने द्वीपसमूह के सभी सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यमों (एमएसएमई) से एमएसएमई सस्टेनेबल (शून्य दोष, शून्य प्रभाव–ज़ेडईडी) प्रमाणन योजना का लाभ उठाने की अपील की है। यह भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यम मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है। इस योजना का उद्देश्य एमएसएमई को वैश्विक स्तर पर स्वीकृत गुणवत्ता मानकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को न्यूनतम करना, गुणवत्तापूर्ण विनिर्माण को बढ़ावा देना, तकनीकी उन्नयन को प्रोत्साहित करना तथा पर्यावरण–अनुकूल औद्योगिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित करना है।

योजना के प्रमुख उद्देश्यों में आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं उत्कृष्ट विनिर्माण पद्धतियों को अपनाकर एमएसएमई को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करना, शून्य दोष एवं शून्य प्रभाव आधारित विनिर्माण प्रक्रियाओं को लागू करना, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता एवं निर्यात संभावनाओं को बढ़ाना, पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव के साथ सतत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना तथा ज़ेडईडी पद्धतियों को सफलतापूर्वक अपनाने वाले एमएसएमई को मान्यता प्रदान करना और नीति–निर्माताओं को सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने में सहायता करना शामिल है।

एमएसएमई सस्टेनेबल (ज़ेडईडी) प्रमाणन तीन क्रमिक स्तरों–कांस्य, रजत एवं स्वर्ण–में उपलब्ध है। प्रत्येक एमएसएमई को प्रमाणन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले ज़ेडईडी प्रतिज्ञा लेनी होगी, जो गुणवत्तापूर्ण एवं सतत विनिर्माण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इसके पश्चात उद्यम अपनी तैयारी एवं निर्धारित मानकों के अनुपालन के आधार पर इच्छित प्रमाणन स्तर के लिए आवेदन कर सकता है। सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यम मंत्रालय के उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकृत सभी उद्यम इस योजना में भाग लेने तथा इसके प्रोत्साहनों एवं लाभों का उपयोग करने के पात्र हैं। प्रमाणन के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत सूक्ष्म उद्यमों को 80 प्रतिशत, लघु उद्यमों को 60 प्रतिशत तथा मझौले उद्यमों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त महिला अथवा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसएमई तथा द्वीपीय क्षेत्रों, उत्तर–पूर्वी क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों एवं आकांक्षी ज़िलों में स्थित एमएसएमई को अतिरिक्त 10 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाता है। एसएफयूआरटीआई एवं एमएसई–सीडीपी कार्यक्रमों के अंतर्गत आने वाले एमएसएमई को अतिरिक्त 5 प्रतिशत अनुदान भी उपलब्ध है।

भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए ज़ेडईडी प्रतिज्ञा लेने के बाद 10,000 रुपये का सहभागिता प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है, जिसका उपयोग निर्धारित अवधि के भीतर प्रमाणन व्यय के लिए किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, कम से कम कांस्य स्तर का प्रमाणन प्राप्त करने वाले एमएसएमई 5.00 लाख रुपये तक की परामर्श एवं मार्गदर्शन सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे। इसमें से 2.00 लाख रुपये तक अनुमोदित परामर्शदात्री संस्थाओं के माध्यम से परामर्श एवं मार्गदर्शन सेवाओं के लिए तथा 3.00 लाख रुपये तक तकनीकी उन्नयन, प्रदूषण नियंत्रण उपायों, स्वच्छ प्रौद्योगिकी तथा अन्य शून्य प्रभाव समाधानों के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। यह सहायता परामर्शदाता की अनुशंसा, संबंधित एमएसएमई विकास संस्थान द्वारा सत्यापन तथा परियोजना निगरानी एवं सलाहकार समिति की स्वीकृति के अधीन होगी।

शेष पृष्ठ 4 पर

नवप्रारंभित वीबीजीआरएएमजी (मनरेगा) योजना पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित

श्री विजय पुरम, 5 अगस्त

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के ग्रामीण विकास, पंचायती राज संस्था एवं शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा 3 एवं 4 अगस्त, 2026 को नवप्रारंभित वीबीजीआरएएमजी (मनरेगा) योजना पर केंद्रित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन ग्रामीण विकास (पंचायत) निदेशक डॉ. अपूर्वा शर्मा ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। उन्होंने अपने प्रेरणादायी संबोधन में प्रतिभागियों को योजना के उद्देश्यों को समर्पण एवं प्रतिबद्धता के साथ पूरा करने के लिए प्रेरित किया।

यह प्रशिक्षण खंड विकास अधिकारियों (बीडीओ), कार्यक्रम अधिकारियों (पीओ) तथा क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य उनकी क्षमता का विकास करना तथा योजना के सुचारु क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना था। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद से आए दो प्रतिष्ठित संसाधन व्यक्तियों ने अपने अनुभव एवं विशेषज्ञता से प्रशिक्षण सत्रों को समृद्ध बनाया तथा प्रभावी रणनीतियों एवं सर्वोत्तम कार्य–पद्धतियों पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की।

प्रतिभागियों ने वीबीजीआरएएमजी योजना के परिचालन संबंधी विभिन्न पहलुओं की व्यावहारिक जानकारी एवं स्पष्ट समझ प्राप्त की, जिससे ज़मीनी स्तर पर प्रभावी कार्य निष्पादन की उनकी क्षमता सुदृढ़ हुई। प्रशिक्षण सत्रों में ग्रामीण विकास एवं आजीविका संवर्धन के लिए योजना की परिकल्पना को सफल बनाने हेतु समन्वित प्रयासों के महत्व पर विशेष बल दिया गया।

कार्यक्रम का समापन राज्य नोडल अधिकारी श्री जितेश कुमार दुबे द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। उन्होंने संसाधन व्यक्तियों, प्रतिभागियों एवं आयोजन दल के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम अधिकारियों को सशक्त बनाने तथा ग्रामीण विकास की प्रमुख योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

यहां प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह प्रशिक्षण मनरेगा के अंतर्गत वीबीजीआरएएमजी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक सुदृढ़ व्यवस्था विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो समावेशी विकास एवं सतत विकास के प्रति प्रशासन की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है।

लाइट एंड साउंड शो के 8 अगस्त के कार्यक्रम में संशोधन

श्री विजय पुरम, 5 अगस्त।

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के सूचना, प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा सभी आगंतुकों, पर्यटकों, हितधारकों और अतिथियों को सूचित किया जाता है कि कुछ प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण 8 अगस्त, 2026 को होने वाले लाइट एंड साउंड शो के कार्यक्रम में संशोधन किया गया है।

तदनुसार, पहला शो, जो मूल रूप से हिंदी में प्रसारित होने वाला था, अब अंग्रेजी में दिखाया जाएगा।

इसके अलावा, आगामी शो के समय में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:

- दूसरा शो (हिंदी): शाम 7:15 बजे
- तीसरा शो (हिंदी): रात 8:15 बजे

सभी आगंतुकों, पर्यटकों और मेहमानों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त परिवर्तनों पर ध्यान दें और तदनुसार अपने टिकट बुक करें। होटलों, टूर ऑपरेटरों, ट्रैवल एजेंसियों, पर्यटन सूचना केंद्रों और अन्य संबंधित एजेंसियों सहित सभी पर्यटन हितधारकों से अनुरोध है कि वे आगंतुकों को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाने के लिए इस जानकारी का व्यापक प्रसार करें।

यहां प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार निदेशालय इन संशोधनों के कारण हुई किसी भी असुविधा के लिए खेद व्यक्त करता है और सभी आगंतुकों और हितधारकों से सहयोग और समझ की अपेक्षा करता है।

जेएनआरएम में "मादक पदार्थों को 'ना' कहें" पर जागृति लाई गई

श्री विजय पुरम, 5 अगस्त

यहां के जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय (जेएनआरएम) के मादक पदार्थ रोधी प्रकोष्ठ द्वारा महाविद्यालय के व्याख्यान कक्ष में विद्यार्थियों को मादक पदार्थों के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से "मादक पदार्थों को 'ना' कहें" विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

उपस्थितजनों का स्वागत करते हुए सह आचार्य एवं मादक पदार्थ रोधी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉ. के. वी. रमण मूर्ति ने कहा कि स्वस्थ युवा ही एक सशक्त राष्ट्र की आधारशिला हैं।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. पर्ल देवदास ने विद्यार्थियों से मादक पदार्थों से दूर रहने तथा एक सार्थक भविष्य के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया। उन्होंने विद्यार्थियों को अपनी ऊर्जा को हानिकारक आदतों के शिकार होने के बजाय सकारात्मक एवं रचनात्मक गतिविधियों में लगाने के लिए प्रेरित किया।

मुख्य वक्तव्य मुख्यालय, सशस्त्र सीमा बल (असम) के कमांडेंट श्री पराग चतुर्वेदी द्वारा दिया गया। उन्होंने भारत में बढ़ते मादक पदार्थों के संकट से संबंधित तथ्य एवं आंकड़े प्रस्तुत किए तथा बताया कि "गोल्डन ट्राएंगल" और "गोल्डन क्रेसेंट" के बीच भौगोलिक स्थिति होने के कारण भारत मादक पदार्थों की तस्करी के प्रति अधिक संवेदनशील है।

यहां प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि कार्यक्रम के दौरान मादक पदार्थों के दुरुपयोग के दुष्परिणामों पर आधारित एक वीडियो प्रस्तुति, विद्यार्थियों के साथ संवादात्मक सत्र तथा प्राचार्या के नेतृत्व में नशामुक्त रहने की सामूहिक शपथ भी आयोजित की गई। कार्यक्रम का समापन सहायक आचार्य एवं राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी श्री नितिन कुमार सिंह द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

दक्षिण अण्डमान वन प्रभाग ने 0.545 घन मीटर अवैध पड़ाक लकड़ी ज़ब्त की

श्री विजय पुरम, 5 अगस्त

विश्वसनीय स्रोत से प्राप्त सूचना के आधार पर दक्षिण अण्डमान वन प्रभाग के मोबाइल स्क्वाड रेंज की एक टीम, जिसमें श्री उत्तम कुमार मिस्त्री, वनपाल, श्री सुशांत सरकार, वन रक्षक, श्री जॉन क्रिस्टोम, वन रक्षक के साथ श्री गणेश साहू, आरएम, श्री पॉल मार्क, आरएम तथा श्री विशाल मिंज, आरएम शामिल थे, ने 5 अगस्त, 2026 को जिरकाटांग वन परिक्षेत्र के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत माइल तिलक आरक्षित वन स्थित छोटा पत्थर घूम क्षेत्र में छापेमारी की।

दल ने मौके से अवैध रूप से चिरी गई पड़ाक की लकड़ी के 18 टुकड़े, जिनका कुल आयतन 0.545 घन मीटर था, बरामद किए। घटनास्थल पर कोई भी आरोपी नहीं मिला। अज्ञात आरोपी के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम, 1927 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज़ किया गया है। घटनास्थल से प्राप्त सुरागों के आधार पर आरोपी की तलाश के प्रयास जारी हैं।

यहां प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह अभियान दक्षिण अण्डमान वन प्रभाग के प्रभागीय वन अधिकारी श्री राजी जॉर्ज, भा.व.से., के समग्र पर्यवेक्षण तथा सहायक वन संरक्षक श्री आर.एस. शरत एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी श्री जॉन विलियम के मार्गदर्शन में संचालित किया गया।

दक्षिण अण्डमान वन प्रभाग ने आम जनता से प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा में सहयोग करने तथा वन एवं वन्यजीव उत्पादों से संबंधित किसी भी संदिग्ध अवैध गतिविधि की सूचना सहायता हेल्पलाइन संख्या 03192–255228 पर देने की अपील दोहराई है। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।

स्तन कैंसर के लक्षित उपचार में प्रकाश से सक्रिय होने वाले नैनो–रोबोट सहायक हो सकते हैं

नई दिल्ली, 5 अगस्त। (प.सू.का.)

शोधकर्ताओं ने एक उन्नत प्रकाश–चालित बहुक्रियाशील नैनोबोट विकसित किया है जो स्तन कैंसर के लक्षित उपचार में मदद कर सकता है।

स्तन कैंसर विश्व भर में महिलाओं में कैंसर से होने वाली मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है। पारंपरिक कीमोथेरेपी अक्सर गंभीर दुष्प्रभाव, दवा प्रतिरोध और स्वस्थ ऊतकों को नुकसान पहुंचाती है, जिसका कारण गैर–विशिष्ट दवा का वितरण, ट्यूमर में गहराई से दवा का प्रवेश ना हो पाना और उपचार के बाद सक्रिय नियंत्रण का अभाव है।

वर्तमान नैनोमेडिसिन मुख्य रूप से निष्क्रिय ट्यूमर पर निर्भर

शेष पृष्ठ 4 पर

CMYK

बी.टेक. पाठ्यक्रमों की शेष रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु काउंसलिंग

श्री विजय पुरम, 5 अगस्त

क्र.सं.	विवरण	ब्यौरा
1.	कार्यक्रम	एनएससीबीआईएचएल विश्वविद्यालय के बी.टेक. पाठ्यक्रमों की शेष रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु काउंसलिंग
2.	तिथि	10 अगस्त, 2026 (सोमवार)
3.	पंजीकरण	सुबह 8.30 बजे से सुबह 9.30 बजे तक
4.	काउंसलिंग	सुबह 9.30 बजे से आगे
5.	स्थान	सेमिनार हॉल, ग्रीन बिल्डिंग, डॉ. बी. आर. अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान (डीब्राइट), श्री विजय पुरम

महत्वपूर्ण निर्देश

1. प्रवेश शेष रिक्त सीटों की उपलब्धता तथा निर्धारित पात्रता शर्तों की पूर्ति के अधीन पूर्णतः मेरिट के आधार पर प्रदान किया जाएगा।
2. अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के समय सत्यापन हेतु अपने सभी मूल प्रमाण–पत्र/दस्तावेज़ तथा उनकी स्वप्रमाणित छायाप्रतियों का एक सेट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. जो अभ्यर्थी निर्धारित समय के भीतर उपस्थित नहीं होंगे अथवा आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने में असफल रहेंगे, उनका प्रवेश का दावा स्वतः निरस्त माना जाएगा।

पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने अल नीनो और मानसून पर इसके प्रभाव के बारे में विस्तार से बताया

नई दिल्ली, 5 अगस्त। (प.सू.का.)

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (आईएनसीओआईएस) के नवीनतम आकलन से संकेत मिलता है कि मई 2026 में विकसित हुई अल नीनो की स्थिति जून 2026 से फरवरी, 2027 तक बनी रहने की संभावना है। इसकी पूर्वानुमानित संभावना 70 से 90 प्रतिशत के बीच है। यह आकलन आईएनसीओआईएस की स्वदेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग (एआई/एमएल) आधारित अल नीनो दक्षिणी दोलन (ईएनएसओ) पूर्वानुमान प्रणाली और वैश्विक महासागर डेटा प्रणाली पर आधारित है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि हालांकि अल नीनो का इतिहास देखते हुए इसे देश के कुछ हिस्सों में भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून की कम वर्षा से जोड़ा गया है लेकिन यह मानसून का एकमात्र निर्धारक नहीं है। भारतीय मानसून कई परस्पर क्रिया करने वाले जलवायु कारकों से प्रभावित होता है। इसमें हिंद महासागर द्विध्रुव (आईओडी), मैडेन–जूलियन दोलन (एमजेओ) और क्षेत्रीय महासागर–वायुमंडल अंतःक्रियाएं शामिल हैं। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि हालांकि वर्तमान पूर्वानुमान अल नीनो के बने रहने की ओर इशारा करते हैं लेकिन भारतीय मानसून पर इसका अंतिम प्रभाव मानसून के मौसम के दौरान संबंधित महासागर–वायुमंडलीय स्थितियों, जिनमें हिंद महासागर द्विध्रुव और प्रचलित पवन पैटर्न शामिल हैं, के विकास पर निर्भर करेगा। इसलिए, उन्नत पूर्वानुमान प्रणालियों के माध्यम से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि विकसित हो रहे अल नीनो का अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के ऊपर वायुमंडलीय परिसंचरण पर प्रभाव पड़ सकता है और इन क्षेत्रों में लगातार बढ़ते तापमान के कारण समुद्री लू की संभावना बढ़ सकती है। इन परिवर्तनों से महासागरीय मिश्रण, पोषक तत्वों की उपलब्धता और जैविक उत्पादकता प्रभावित हो सकती है। इसका मछली वितरण और तटीय समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर असर पड़ेगा। लहरों और ज्वार की स्थितियों में बदलाव से नौवहन, अपतटीय संचालन और तटीय गतिविधियों पर भी प्रभाव पड़ सकता है।

सरकार की तैयारियों पर प्रकाश डालते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि आईएनसीओआईएस (इनकॉइस) ने तूफान, ऊंची लहरों, समुद्री जलप्रपात और तेज धाराओं के लिए उच्च–विभेदन पूर्वानुमान मॉडल के माध्यम से महासागरीय स्थिति पूर्वानुमान और समुद्री बहु–खतरा प्रारंभिक चेतावनी सेवाओं को लगातार मजबूत किया है। उन्नत डेटा एसिमिलेशन सिस्टम के साथ एकीकृत महासागरीय ग्लाइडर, लंगरयुक्त तैरते हुए चिन्ह, आर्गो फ्लोट, ज्वार गेज और उपग्रह प्रेक्षणों से युक्त विस्तारित महासागरीय प्रेक्षण नेटवर्क के माध्यम से पूर्वानुमान क्षमता को बढ़ाया गया है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने तटीय समुदायों के बीच तैयारी और लचीलेपन में सुधार लाने के लिए हितधारक प्रशिक्षण कार्यक्रम, मॉक अभ्यास और जागरूकता अभियान आयोजित करते हुए चौबीसों घंटे परिचालन निगरानी, सलाहों का बहु–प्लेटफॉर्म प्रसार और प्रभाव–आधारित पूर्वानुमान को भी मजबूत किया है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने आगे बताया कि दीप महासागर मिशन के तहत चालू वित्त वर्ष में समुद्री संसाधनों के मानचित्रण के लिए 145.06 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं। भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में स्थित समुद्री पर्वतों के जैव विविधता सर्वेक्षणों का विस्तार किया जा रहा है, जबकि जलतापीय उद्गम स्थलों, खनिज समृद्ध क्षेत्रों और समुद्री संसाधनों की खोज के लिए उन्नत स्वायत्त जलमार्ग वाहन (ऑटोनॉमस अंडरवाटर व्हीकल्स) और रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स (रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स) तैनात किए जा रहे हैं। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि तमिलनाडु सहित तटीय राज्यों के लिए, आईएनसीओआईएस (इनकोयस)दस दिन पहले तक लहरों, हवाओं, ज्वार–भाटे, समुद्री धाराओं और समुद्र की सतह के तापमान के पूर्वानुमान सहित महासागरीय राज्य पूर्वानुमान सेवाएं प्रदान करता है। आपदा की तैयारी और समुद्री सुरक्षा में सहयोग के लिए राज्य अधिकारियों को नियमित रूप से उच्च–लहर, ज्वार–भाटे और उच्च–धारा संबंधी सलाह जारी की जाती हैं। केंद्र ने तटीय लचीलेपन और सामुदायिक तैयारियों को मजबूत करने के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से ज्वार–भाटे मापने वाले स्टेशन, तटीय लहर चालक बुआ और सुनामी तैयारी कार्यक्रम भी स्थापित किए हैं।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने दोहराया कि सरकार जलवायु और महासागर संबंधी पूर्वानुमानों की सटीकता में सुधार लाने के लिए स्वदेशी पूर्वानुमान प्रौद्योगिकियों, उन्नत महासागरीय अवलोकनों और वैज्ञानिक निर्णय–सहायता प्रणालियों में निवेश करना जारी रखे हुए है जिससे सरकारों, तटीय समुदायों, मछुआरों और अन्य हितधारकों के लिए समय पर सलाह जारी करना संभव हो सके और साथ ही जलवायु परिवर्तनशीलता में हो रहे बदलावों के खिलाफ भारत की लचीलता को मजबूत किया जा सके।

केंद्रीकृत जन शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु कई पहलें

नई दिल्ली, 5 अगस्त। (प.सू.का.)

सरकार ने जन शिकायत निवारण की दक्षता, गुणवत्ता और जवाबदेही में सुधार लाने के उद्देश्य से केंद्रीकृत जन शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) को सुदृढ़ करने हेतु कई पहलें की हैं, जैसे कि 10–चरणीय सीपीग्राम्स सुधारों का कार्यान्वयन, शिकायत निवारण की समय सीमा 30 दिनों से घटाकर 21 दिन करने वाले जन शिकायतों के प्रभावी निवारण हेतु व्यापक दिशानिर्देश अगस्त, 2024 में जारी किए जा सके और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शिकायत निवारण की आवधिक समीक्षा को सुगम बनाने के लिए समीक्षा बैठक मॉड्यूल का संचालन करना। वर्ष 2026 में (1 जनवरी से 15 जुलाई 2026 तक), सीपीग्राम्स पर 15,20,576 जन शिकायतें प्राप्त हुईं और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए सीपीग्राम्स पर शिकायतों के निवारण का औसत समय 13 दिन रहा।

भविष्य केंद्रीय सरकारी नागरिक कर्मचारियों के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन पेंशन स्वीकृति और भुगतान ट्रैकिंग प्रणाली है, जो पेंशन आवेदन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक पीपीओ जारी करने तक पेंशन मामलों की संपूर्ण ऑनलाइन प्रक्रिया को सक्षम बनाती है। यह एकल इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के साथ पेंशन दस्तावेजों के डिजिटल सबमिशन और सत्यापन को सुगम बनाती है। यह सेवानिवृत्त कर्मचारियों और सभी संबंधित हितधारकों को पेंशन मामलों की तत्क्षण में ट्रैकिंग प्रदान करती है और पेंशन दस्तावेजों की पारदर्शिता और समयबद्ध प्रक्रिया में सुधार करती है। डिजिटल जीवन प्रमाण (जीवन प्रमाण) ने आधार–आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और पेंशन वितरण प्राधिकरणों के साथ अभिलेखों के सिस्टम–संचालित अद्यतन के माध्यम से वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है, जिससे पेंशनभोगियों को एसएमएस–आधारित पावती के साथ पेंशन की निर्बाध निरंतरता सुनिश्चित होती है। इसके अलावा, केंद्रीकृत पेंशन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीईएनजीआरएएमएस) ने शिकायत पंजीकरण, ट्रैकिंग और समाधान के लिए एक ऑनलाइन मंच प्रदान करके केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए पेंशन संबंधी सेवाओं की पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध वितरण को बढ़ाया है। यह प्रणाली मंत्रालयों/विभागों द्वारा तत्क्षण की निगरानी, समयबद्ध निवारण और निरंतर निरीक्षण को सक्षम बनाती है, जिसके परिणामस्वरूप देरी कम होती है और प्रतिक्रिया में सुधार होता है।

सीपीग्राम्स का एक एआई–सक्षम चैटबॉट, 'समाधान दीदी', 30 मई 2026 को लॉन्च किया गया है। यह चैटबॉट सभी 22 आधिकारिक भाषाओं में बहुभाषी आवाज़–आधारित शिकायत पंजीकरण की सुविधा देता है, नागरिकों को शिकायत का पूरा विवरण प्रदान करने में सहायता करता है और एआई का उपयोग करके उचित मंत्रालय/विभाग और शिकायत श्रेणी की पहचान करता है ताकि शिकायतों को संबंधित शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) तक सटीक रूप से पहुंचाया जा सके, जिससे शिकायत निवारण की दक्षता और गुणवत्ता में सुधार होता है और देरी को कम करने में मदद मिलती है। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 'पेंशनभोगियों के कल्याण में सुधार' नामक एक नई योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य एक एकीकृत पेंशनभोगी पोर्टल के माध्यम से केंद्रीय रूप से उपयोगकर्ता के अनुकूल पहुंच को सुविधाजनक बनाना है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

एमएसएमई से एमएसएमई सस्टेनेबल

–––––––––––––––––––––पृष्ठ 1 का शेष

प्रमाणन प्रक्रिया के अंतर्गत एमएसएमई को पहले ज़ेडईडी प्रतिज्ञा लेनी होगी और उसके बाद इच्छित प्रमाणन स्तर के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा। उद्यम को चयनित स्तर के सभी निर्धारित मानकों का अनुपालन करना होगा। यदि मूल्यांकन के दौरान कोई कमी पाई जाती है, तो उसे निर्धारित अवधि के भीतर सुधारने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। अंतिम प्रमाणन मान्यता प्राप्त मूल्यांकन एजेंसियों की अनुशंसा के आधार पर प्रदान किया जाएगा। योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले एमएसएमई का प्रमाणन के बाद सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यम मंत्रालय द्वारा निरीक्षण भी किया जा सकता है।

एमएसएमई सस्टेनेबल (ज़ेडईडी) प्रमाणन योजना एमएसएमई के लिए उत्पाद गुणवत्ता, उत्पादकता, परिचालन दक्षता एवं पर्यावरणीय सततता में सुधार करने तथा घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करती है। ज़िला उद्योग केंद्र ने अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के सभी पात्र एमएसएमई से इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराने तथा उपलब्ध वित्तीय प्रोत्साहन, प्रमाणन सहायता एवं तकनीकी उन्नयन सहायता का लाभ उठाने का आग्रह किया है।

ज़िला उद्योग केंद्र द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि एमएसएमई सस्टेनेबल (ज़ेडईडी) प्रमाणन योजना के अंतर्गत पंजीकरण संबंधी अधिक जानकारी एवं सहायता के लिए उद्यमी कार्यालय समय के दौरान ज़िला उद्योग केंद्र, उद्योग परिसर, मिडिल प्वाइंट, श्री विजय पुरम से संपर्क कर सकते हैं अथवा दूरभाष संख्या 03192–232601/232819 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

जेएनआरएम में विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अंतिम काउंसलिंग

श्री विजय पुरम, 5 अगस्त

एनएससीबीआईएचएल (मानित विश्वविद्यालय) के घटक महाविद्यालय जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय (जेएनआरएम), श्री विजय पुरम में विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों की रिक्त सीटों को भरने के लिए तृतीय एवं अंतिम प्रवेश काउंसलिंग 10 अगस्त, 2026 (सोमवार) को आयोजित की जाएगी।

इन स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अपने–अपने विभाग में आयोजित काउंसलिंग में उपस्थित होने की सलाह दी गई है।

निर्धारित तिथि एवं समय पर काउंसलिंग सत्र में उपस्थित न होने वाले अभ्यर्थियों पर संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विचार नहीं किया जाएगा तथा उनके स्थान पर मेरिट सूची में अगले पात्र अभ्यर्थी को प्रवेश प्रदान किया जाएगा।

इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को निर्देश दिया गया है कि वे काउंसलिंग की निर्धारित तिथि को सुबह 8.30 बजे जेएनआरएम, श्री विजय पुरम के संबंधित पाठ्यक्रमों के विभागों में उपस्थित हों।

यहां प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार अभ्यर्थियों को सत्यापन के लिए निम्नलिखित मूल दस्तावेज़ तथा उनकी एक–एक छायाप्रति (जिसे प्रवेश के समय जमा करना होगा) साथ लानी होगी :–

1. कक्षा 12वीं की मूल अंकतालिका (मूल प्रमाण–पत्र जेएनआरएम में जमा रखा जाएगा।)
2. स्थानांतरण प्रमाण–पत्र (टीसी)/विद्यालय त्याग प्रमाण–पत्र (मूल प्रमाण–पत्र जेएनआरएम में जमा रखा जाएगा।)
3. जन्मतिथि के सत्यापन हेतु कक्षा 10वीं उत्तीर्ण प्रमाण–पत्र (मूल)।
4. श्रेणी प्रमाण–पत्र (मूल)–अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के आश्रित/भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग।
6. अभ्यर्थी का सफेद पृष्ठभूमि वाला एक पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ।

अंतर विद्यालय प्राथमिक स्तर फुटबॉल नॉकआउट प्रतियोगिता 2026 शुरू

श्री विजय पुरम, 5 अगस्त

उप शिक्षा कार्यालय, दक्षिण अण्डमान द्वारा आयोजित अंतर विद्यालय प्राथमिक स्तर फुटबॉल नॉकआउट प्रतियोगिता 2026 (बालक एवं बालिका) का शुभारंभ आज 5 अगस्त, 2026 को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, भातूबस्ती मैदान में हुआ। प्रतियोगिता में दक्षिण अण्डमान के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए खेल भावना का शानदार प्रदर्शन किया।

प्रथम दिवस–मैच परिणाम (05.08.2026)	
बालक वर्ग	
प्रथम मैच	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय आरबीवी ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भातूबस्ती को 1–0 गोल से पराजित किया।
द्वितीय मैच	राजकीय माध्यमिक विद्यालय डॉलीगंज ने राजकीय माध्यमिक विद्यालय दिलानीपुर को 1–0 गोल से पराजित किया।
तृतीय मैच	सीनियर सेकेंडरी स्कूल सागरितारा ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय इंदिरा नगर को 1–0 गोल से पराजित किया।
बालिका वर्ग	
प्रथम मैच	राजकीय माध्यमिक विद्यालय हम्फ्रीगंज ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्कूल लाइन को 5–0 गोल से पराजित किया।
द्वितीय मैच	राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अबर्डीन ने राजकीय माध्यमिक विद्यालय मरियम्मन टेंपल को टाई–ब्रेकर में 1–0 गोल से पराजित किया।

यहां प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस पहल का नेतृत्व दक्षिण अण्डमान के उप शिक्षा अधिकारी श्री ज्ञान शील दुबे ने किया। कार्यक्रम में सामुदायिक सहभागिता एवं प्रोत्साहन की सशक्त भावना देखने को मिली। इस अवसर पर दक्षिण अण्डमान के उप शिक्षा अधिकारी एवं कार्यालयाध्यक्ष श्री ज्ञान शील दुबे तथा शिक्षा निदेशालय, श्री विजय पुरम के सहायक निदेशक (खेल/शिक्षा) श्री इरशाद अहमद की गरिमामयी उपस्थिति रही।

यह पहल खेल संस्कृति को सुदृढ़ करने तथा प्रारंभिक अवस्था से ही विद्यार्थियों को खेल गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने के प्रति शिक्षा विभाग की सतत प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

स्तन कैंसर के लक्षित उपचार में प्रकाश से

––––––––––––––––––––पृष्ठ 1 का शेष

करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप ऊतकों में सीमित पैठ और खराब स्थानिक नियंत्रण होता है, जबकि अधिकांश प्रकाश–संचालित माइक्रो/नैनोरोबोटों को अल्ट्रा वाइलेट या दृश्य प्रकाश की आवश्यकता होती है, जिनमें ऊतकों में सीमित पैठ और स्वस्थ ऊतकों को संभावित क्षति होती है। इसके विपरीत, उत्तेजना–प्रतिक्रियाशील नैनोरोबोट, जो बाहरी (जैसे, निकट–अवरक्त प्रकाश या चुंबकीय क्षेत्र) या आंतरिक (जैसे, पीएच या एंजाइम) संकेतों द्वारा नियंत्रित होते हैं, न्यूनतम प्रणालीगत विषाक्तता के साथ सटीक, लक्षित चिकित्सा प्रदान करते हैं, जिससे वे सटीक चिकित्सा के लिए एक आशाजनक भविष्य का मंच बन जाते हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के एक स्वायत्त संस्थान, मोहाली स्थित नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी संस्थान (आईएनएसटी) के वैज्ञानिकों ने नैनोरोबोटिक्स को फोटोथेरेपी के साथ जोड़ने की कल्पना की है जिससे एक चिकित्सीय मंच विकसित किया जा सके जो बाहरी प्रकाश के कारण सक्रिय रूप से नेविगेट करने में सक्षम हो होने के साथ लक्षित कैंसर उपचार भी कर सके।

डॉ. जिबन ज्योति पांडा (इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूट, मोहाली) के नेतृत्व में, डॉ. संतोष के. गुप्ता (बीएआरसी, मुंबई) के सहयोग से, स्वप्निल श्रीवास्तव (प्रथम लेखक के रूप में), अनु बलहारा, पंकज खर्रा और ज्योति यादव के साथ मिलकर, अपकनवर्जन नैनोपार्टिकल (यूसीएनपी) आधारित नैनोबोट्स विकसित किए गए हैं जो निकट–अवरक्त (एनआईआर) प्रकाश को कुशलतापूर्वक ऊष्मा में परिवर्तित करने में सक्षम हैं और एनआईआर की उपस्थिति में दिशात्मक गति प्रदर्शित करते हैं।

टीम ने नैनोबोट्स को फोटोसेंसिटाइजर से क्रियाशील बनाया, जिससे एनआईआर विकिरण पर प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियों (आरओएस) का उत्पादन संभव हुआ। एनआईआर विकिरण पर नैनोबोट्स ने प्रकाश–निर्देशित दिशात्मक गति (फोटोटैक्सिस) भी प्रदर्शित की, जिससे स्थानीयकृत चिकित्सा में सहायता मिली। इसके अलावा, फोलिक एसिड के साथ सतह क्रियाशील होने से फोलेट रिसेप्टर्स की अधिकता वाले स्तन कैंसर कोशिकाओं की चयनात्मक पहचान और लक्ष्यीकरण संभव हुआ, जिससे ट्यूमर–विशिष्ट फोटोथेरेप्यूटिक प्रभावकारिता में वृद्धि हुई। यह कार्य यूसीएनपी–आधारित नैनोबोट–मध्यस्थता वाली कैंसर फोटोथेरेपी को आगे बढ़ाने में स्वप्निल श्रीवास्तव के अग्रणी योगदान और संबंधित लेखकों, डॉ. जिबन ज्योति पांडा और डॉ. संतोष के. गुप्ता के वैज्ञानिक नेतृत्व को उजागर करता है।

980 एनएम एनआईआर लेजर के संपर्क में आने पर, पॉलीडोपामीन स्थानीय ताप उत्पन्न करता है, जिससे तापमान प्रवणता बनती है। यह तापमान प्रवणता तापीय गति उत्पन्न करती है, जिसके कारण नैनोबोट्स फोटोटैक्सिस के माध्यम से लेजर स्रोत की ओर सक्रिय रूप से गति करते हैं। साथ ही, फोटोथर्मल ताप और फोटोडायनामिक आरओएस उत्पादन कैंसर कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं। इन संयुक्त प्रभावों से व्यक्तिगत उपचार विधियों की तुलना में ट्यूमर को रोकने में बेहतर परिणाम मिलते हैं।

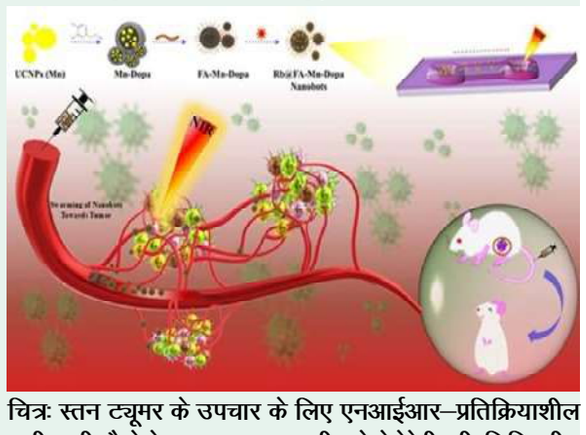

चित्र: स्तन ट्यूमर के उपचार के लिए एनआईआर–प्रतिक्रियाशील यूसीएनपी नैनोबोट–मध्यस्थता वाली फोटोथेरेपी की चिकित्सीय क्रियाविधि का चित्रण। यह चित्रण एनआईआर लेजर विकिरण के तहत यूसीएनपी नैनोबोट्स की दिशात्मक गति (फोटोटैक्सिस) को दर्शाता है, जो स्थानीयकृत फोटोथर्मल और फोटोडायनामिक थेरेपी को सक्षम बनाता है।

टीम ने कोशिकीय मॉडल और स्तन ट्यूमर से ग्रस्त चूहों दोनों में चिकित्सीय प्रभाव का प्रदर्शन किया है।

जर्नल एसीएस एप्लाइड मैटेरियल्स एंड इंटरफेसेस में प्रकाशित शोध में एक ईंधन–मुक्त, एनआईआर–प्रतिक्रियाशील नैनोबोट का परिचय दिया गया है जो जैविक रूप से संगत एनआईआर विकिरण के तहत सक्रिय प्रकाश–निर्देशित गति (फोटोटैक्सिस) को एकीकृत करता है, जिससे जैविक माध्यम में लेजर तीव्रता, पीएच और ग्लूटाथियोन सांद्रता द्वारा विनियमित फोलिक एसिड–मध्यस्थता कैंसर सेल पहचान से लक्षित वितरण संभव होता है।

यह अनूठा संयोजन स्थानीयकृत चिकित्सीय क्रिया के माध्यम से स्तन ट्यूमर का सटीक, बाह्य रूप से नियंत्रित और न्यूनतम आक्रामक उपचार संभव बनाएगा।

सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय द्वारा प्रकाशित तथा प्रबन्धक, राजकीय मुद्रणालय द्वारा मुद्रित, वितरण तथा विज्ञापन के लिए फोन–229465, प्रधान सम्पादक (प्रभारी) पी. कैरल डी. सोणी
e-mail:dweepsamachar@gmail.com

सरकारी स्कूलों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं डिजिटल शिक्षा

नई दिल्ली, 05 अगस्त।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीए) 2020 सभी स्तरों पर छात्रों में जरूरी कौशलों को विकसित करने के लिए पाठ्यक्रम एवं शिक्षण तरीकों से जुड़ी ठोस पहलों पर प्रकाश डालती है। इसमें सही चरणों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजाइन थिंकिंग, समग्र स्वास्थ्य, जैविक जीवनशैली, पर्यावरण शिक्षा, वैश्विक नागरिकता शिक्षा (जीसीईडी) जैसे समकालीन विषयों को समाहित करना शामिल है।

एनईपी 2020 के पैरा नंबर 4.25 में यह भी सुझाव दिया गया है कि 'माना जाता है कि भारत के भविष्य और भविष्य के कई ऐसे क्षेत्रों एवं पेशों में देश की नेतृत्व वाली भूमिका के लिए गणित एवं गणितीय सोच बहुत महत्वपूर्ण होगी, जिनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग और डेटा विज्ञान आदि शामिल हैं।' इसलिए, स्कूली शिक्षा के दौरान गणित एवं कंप्यूटेशनल थिंकिंग पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। शुरुआती स्तर से ही नए तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिनमें पजल और खेलों का नियमित उपयोग शामिल है ताकि गणित के बारे में सोचने का तरीका मजेदार एवं रोचक बने। मध्य स्तर में कोडिंग से जुड़ी गतिविधियां शामिल की जाएंगी।

स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ एसई) 2023 इस बात पर बल देती है कि छात्रों और समाज के लिए गणित की शिक्षा वैश्विक स्तर पर पहले कभी इतनी महत्वपूर्ण नहीं रही है। गणित और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, डेटा विज्ञान, जलवायु मॉडलिंग, अवसंरचना विकास और भारत एवं अन्य सभी देशों के सामने मौजूद कई अन्य संबंधित वैज्ञानिक मुद्दों के बीच गहरा संबंध है। यही कारण है कि गणित स्कूली शिक्षा का बहुत अहम हिस्सा बन गया है।

इसके अलावा, इसमें यह भी कहा गया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, और बिग डेटा विश्लेषण एवं विजुअलाइजेशन जैसी तकनीकों का शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित रूप से नए एवं अनोखे तरीके से इस्तेमाल होगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग और डेटा विज्ञान जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों, साथ ही इमर्सिव (एआर/वीआर/वर्चुअल लैब्स), इंटरैक्टिव, और गेमिफाइड सामग्री का उपयोग करके टीचिंग–लर्निंग एवं मूल्यांकन प्रक्रियाओं में सुधार करने, शिक्षक तैयारी एवं व्यावसायिक विकास का समर्थन करने, शैक्षिक पहुंच बढ़ाने, तथा शैक्षिक योजना, प्रबंधन एवं प्रशासन को सुव्यवस्थित करने की अपार संभावनाएं हैं।

शपथ पत्र

मैं ए. के. जमीला (A. K Jameela), पुत्री स्वर्गीय के. एम. अब्बू (K M Aboo) (काथियात मरकातेरी अब्बू), पत्नी ताजुद्दीन (Thajudeen), निवासी हॉप टाउन (Hope Town), निम्नलिखित रूप से सत्यनिष्ठा से शपथ लेती हूँ और घोषणा करती हूँ:–

1. यह कि मेरा नाम ए. के. जमीला है, जिसका पूरा नाम अब्बू काथियात जमीला (Aboo Katiath Jameela) पढ़ा जाए।
2. यह कि मेरे पिता का नाम के. एम. अब्बू है, जिसका पूरा नाम काथियात मरकातेरी अब्बू (Katiath Merkateri Aboo) पढ़ा जाए।
3. यह कि मेरी माता का नाम एम. ए. आयशम्मा (M.A. Ayshamma) है, जिसका पूरा नाम मनालाथ अब्दुलरहमान आयशम्मा (Manalath Abdulrehman Ayshamma) पढ़ा जाए।
4. यह कि मेरे पासपोर्ट में मेरा नाम गलती से अब्बू कार्तिएथ जमीला (Aboo Kartieth Jameela) लिख दिया गया है, जबकि सही नाम अबू काथियात जमीला (Aboo Katiath Jameela) है।
5. यह कि मेरे पासपोर्ट में मेरे पिता का नाम गलती से कार्तिएथ मारकाचेरी अब्बू (Kartieth Markacheri Aboo) लिख दिया गया है (सही नाम: काथियात मरकातेरी अब्बू) और मेरी माता का नाम गलती से मनालाथा अब्दुलरहमान आयशा (Manalatha Abdulrehman Aysha) लिख दिया गया है (सही नाम: मनालाथ अब्दुलरहमान आयशम्मा)।
6. यह कि अब्बू कार्तिएथ जमीला और अब्बू काथियात जमीला दोनों एक ही व्यक्ति हैं।
7. यह कि कार्तिएथ मारकाचेरी अब्बू और काथियात मरकातेरी अब्बू दोनों एक ही व्यक्ति हैं।
8. यह कि मनालाथा अब्दुलरहमान आयशा और मनालाथ अब्दुलरहमान आयशम्मा दोनों एक ही व्यक्ति हैं।
9. मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे पासपोर्ट संख्या P9614788 में दर्शाया गया मेरा और मेरे माता–पिता का नाम गलत है और इसमें आवश्यक सुधार की आवश्यकता है।
10. उपरोक्त घोषणा मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है और यह मेरे पासपोर्ट में मेरे और मेरे माता–पिता के नाम के सुधार के उद्देश्य से की गई है। इसके अलावा, यदि उपरोक्त घोषणा में दी गई कोई भी जानकारी किसी भी स्तर पर झूठी पाई जाती है, तो मैं किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हूँ।

शपथकर्ता

शपथ पत्र

मैं ताजुद्दीन (Thajudeen), पुत्र उनियाप्पु (Uniappu), निवासी हॉप टाउन (Hope Town), निम्नलिखित रूप से सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ और घोषणा करता हूँ:

1. यह कि मेरी पत्नी का नाम ए. के. जमीला (A K Jameela) है, जिसका पूरा नाम अब्बू काथियात जमीला (Aboo Katiath Jameela) पढ़ा जाए।
2. यह कि मेरे पासपोर्ट में मेरी पत्नी का नाम गलती से अब्बू कार्तिएथ जमीला (Aboo Kartieth Jameela) लिख दिया गया है, जबकि सही नाम अब्बू काथियात जमीला (Aboo Katiath Jameela) है।
3. यह कि अब्बू कार्तिएथ जमीला और अब्बू काथियात जमीला दोनों एक ही व्यक्ति हैं।
4. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे पासपोर्ट संख्या P4793045 में दर्शाया गया मेरी पत्नी का नाम गलत है और इसमें आवश्यक सुधार की आवश्यकता है।
5. उपरोक्त घोषणा मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है और यह मेरे पासपोर्ट में मेरी पत्नी के नाम में सुधार के उद्देश्य से की गई है। इसके अलावा, यदि उपरोक्त घोषणा में दी गई कोई भी जानकारी किसी भी स्तर पर झूठी पाई जाती है, तो मैं किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हूँ।

शपथकर्ता

राज्यसभा ने सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक 2026 को दी मंजूरी

नई दिल्ली, 05 अगस्त (हि.स.)।

संसद के उच्च सदन राज्यसभा ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 को पारित कर दिया। इसके साथ ही देश के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। यह विधेयक लोकसभा से 3 अगस्त को पारित हो चुका है। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून का रूप ले लेगा।

विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि देश में विभिन्न क्षेत्रों में सुधार किए जा रहे हैं और यह विधेयक भी न्यायिक सुधारों की उसी श्रृंखला का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि यह केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं बल्कि महत्वपूर्ण न्यायिक सुधार है। सुप्रीम कोर्ट में बढ़ते मामलों के बोझ को देखते हुए यह कदम आवश्यक था। उन्होंने कहा कि संविधान पीठों के गठन के कारण नियमित मामलों की सुनवाई प्रभावित होती है।

हाल ही में गठित 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे बड़े मामलों के चलते अन्य मामलों की सुनवाई में देरी होती है, जिससे लंबित मामलों की संख्या बढ़ती है। इस संशोधन के तहत सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 की जा रही है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं। इससे लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी। एक साथ अधिक मामलों की सुनवाई संभव होगी। संविधान पीठों का गठन अधिक नियमित रूप से किया जा सकेगा।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इससे आम नागरिकों को समयबद्ध न्याय उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। मेघवाल ने कहा कि सरकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सम्मान करती है और क्षेत्रीय बेंचों के मुद्दे पर सभी पक्षों से विचार–विमर्श किया जा रहा है। उन्होंने सबरीमाला मामले का उदाहरण देते हुए कहा कि नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ के गठन से अन्य मामलों की सुनवाई के लिए उपलब्ध न्यायाधीशों की संख्या कम हो जाती है। ऐसे में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ने से अदालत के कामकाज में सुधार होगा।

महिला प्रतिनिधित्व पर बोलते हुए मेघवाल ने कहा कि देश जल्द ही पहली महिला मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) देखेगा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष अध यादेश के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक और महिला न्यायाध ीश की नियुक्ति हुई है।

विधेयक पारित होने के बाद इसे आगे की संसदीय प्रक्रिया के लिए लोकसभा को भेज दिया गया। इसके बाद राज्यसभा में विशेष उल्लेख के तहत सदस्यों ने जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए। दिनभर की कार्यवाही पूरी होने के बाद उपसभापति ने सदन की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

भोपाल में ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन शुरू, 100 से ज्यादा विदेशी मेहमान ले रहे हिस्सा

भोपाल, 05 अगस्त (हि.स.)।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बुधवार से भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन–2026 की शुरुआत हो गई है। यहां कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन (मिंटो हॉल) में ब्रिक्स देशों के अधिकारियों की बैठक चल रही है।

बैठक से पहले मिंटो हाल में सुबह 11 बजे सभी मेहमानों का फोटो सेशन हुआ। इसके बाद बैठकों का दौर शुरू हो गया। चार दिन तक चलने वाले इस वैश्विक सम्मेलन में भागीदार देशों के 100 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में सांस्कृतिक सहयोग, विरासत संरक्षण और आपसी साझेदारी से जुड़े कई महत्वपूर्ण सत्र आयोजित किए जाएंगे। मिंटो हॉल परिसर में ज्ञान भारतम, प्रोजेक्ट मौसम और प्रोजेक्ट बृहत्तर भारत पर तीन विशेष प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया है। ये प्रदर्शनियां इन चारों दिन आम जनता के लिए भी खुली है। प्रदर्शनियां भारत की पांडुलिपि विरासत, समुद्री सांस्कृतिक संबंधों और सभ्यतागत जुड़ाव को प्रदर्शित करने के साथ विरासत संरक्षण, सांस्कृतिक कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय सहयोग में भारत की पहलों को रेखांकित करेंगी।

अफ्रीकी स्वाइन फीवर की पहली स्वदेशी वैक्सीन राष्ट्र को समर्पित

नई दिल्ली, 05 अगस्त (हि.स.)।

देश के पशुपालन क्षेत्र के लिए बड़ी खुशखबरी है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर (एएसएफ) के खिलाफ भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन विकसित की है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को आईसीएआर के स्थापना दिवस समारोह में, इस वैक्सीन को राष्ट्र को समर्पित किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह भी मौजूद रहे।

अफ्रीकी स्वाइन फीवर सूअरों में फैलने वाली बेहद घातक वायरल बीमारी है, जिसमें मृत्यु दर 100 प्रतिशत तक हो सकती है। भारत में यह बीमारी पहली बार वर्ष 2020 में सामने आई थी। इसके बाद कई राज्यों, खासकर पूर्वोत्तर भारत में बड़े पैमाने पर सूअरों की मौत हुई और हजारों पशुपालकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जानकारी दी कि भारत में एएसएफ के फैलने का आर्थिक असर काफी ज्यादा रहा है। 2020 और 2021 में असम में जब यह बीमारी पहली बार फैली, तो सूअरों की मौत और उन्हें मारने की वजह से लगभग 276 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। मिजोरम में, 2025 तक एएसएफ के फैलने से 11,382 से ज्यादा परिवार प्रभावित हुए हैं, जिससे लगभग 982 करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है। इन घटनाओं ने बीमारी से निपटने की तैयारी को मजबूत करने, किसानों की आजीविका की रक्षा करने और देश के सूअर पालन सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए एक असरदार घरेलू समाधान की तत्काल जरूरत को उजागर किया है।

आईसीएआर के अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय उच्च

सुरक्षा पशु रोग संस्थान , भोपाल के वैज्ञानिकों ने एमए–104 सेल लाइन आधारित लाइव एटेन्यूएटेड एएसएफ वैक्सीन विकसित की है। यह वैक्सीन बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उपयुक्त है और इससे निर्माण लागत भी कम होगी।

वैक्सीन का सुरक्षा, प्रभावशीलता, आनुवंशिक स्थिरता और फील्ड ट्रायल सहित सभी आवश्यक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं। इसे 8 सप्ताह से अधिक आयु के स्वस्थ सूअरों को 1 मि.ली. की खुराक के रूप में लगाया जाएगा तथा 14 दिन बाद बूस्टर डोज दी जाएगी।

आईसीएआर के मुताबिक इस वैक्सीन से सूअरों की मृत्यु दर में कमी आएगी, किसानों की आर्थिक हानि घटेगी और देश की जैव सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। साथ ही, भारत सस्ती एएसएफ वैक्सीन के वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में भी उभर सकता है।

टेस्ट में सबसे ज्यादा डबल सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज, ब्रायन लारा तीसरे नंबर पर

नई दिल्ली, 05 अगस्त।

टेस्ट क्रिकेट में वैसे तो कई बल्लेबाज हुए जिन्होंने दोहरे शतक ठोके हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा डबल सेंचुरी किसने लगाई हैं। हम आपको टॉप बल्लेबाजों के बारे में बताने जा रहे हैं। वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज और कप्तान रहे ब्रायन लारा यहां तीसरे नंबर पर आते हैं।

टेस्ट में सबसे ज्यादा दोहरे शतक ऑस्ट्रेलिया के महानतम बल्लेबाजों में शुमार डॉन ब्रेडमैन ने लगाए हैं। साल 1928 से लेकर 1948 तक खेलने वाले ब्रेडमैन ने 52 टेस्ट खेलकर 12 दोहरे शतक लगाए हैं, उनका रिकॉर्ड आज तक टूटा नहीं हैं। उन्होंने तिहरा शतक भी लगाया है।

श्रीलंका के कप्तान रहे पूर्व धाकड़ बल्लेबाज कुमार संगकारा ने ब्रेडमैन के बाद सबसे ज्यादा 11 दोहरे शतक लगाए हैं। कुमार संगकारा ने साल 2000 में अपना डेब्यू किया था और साल 2015 तक खेलते रहे। इस दौरान उन्होंने 134 टेस्ट मैच खेलने का काम किया।

वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज रहे ब्रायन लारा ने साल 1990 में अपना टेस्ट डेब्यू किया था और वे 2006 तक खेलते रहे। इस दौरान उन्होंने 131 टेस्ट खेलकर 9 दोहरे शतक लगाने का काम किया है। ब्रायन लारा ने तो नाबाद 400 रन भी बनाए हैं, जो कि अब तक एक कीर्तिमान है।

इंग्लैंड के महान क्रिकेटर्स में शुमार बैली हैमंड ने अपने क्रिकेट करियर में 7 दोहरे शतक लगाए हैं। हैमंड ने साल 1927 में अपना डेब्यू किया था और इकसे बाद वे 1947 तक खेलते रहे। इस दौरान उन्होंने 85 टेस्ट मैच खेले।

भारत के कप्तान रहे विराट कोहली ने भी टेस्ट क्रिकेट में सात दोहरे शतक लगाए हैं। कोहली ने साल 2011 में अपना टेस्ट डेब्यू किया था और साल 2025 में उन्होंने इस फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। इस दौरान 123 टेस्ट कोहली ने खेले हैं।

श्रीलंका के महेला जयवर्धने ने भी टेस्ट में सात दोहरे शतक लगाए हैं। जयवर्धने ने साल 1997 में अपना डेब्यू किया और 2014 तक खेलते रहे। इस दौरान उन्होंने 149 टेस्ट खेले हैं।

कटिंग में नहीं आ रहीं जड़ें? केमिकल छोड़ें, किचन की ये 5 चीजें बनेंगी नेचुरल रूटिंग हार्मोन

नई दिल्ली, 05 अगस्त।

कटिंग से पौधे लगाने का तरीका न केवल आसान बल्कि बिजी रहने वाले लोगों के लिए रामबाण का काम भी करता है। इस प्रोसेस में बीज की आवश्यकता नहीं होती बस स्वस्थ पौधे से नया पौधा बनाया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर लोगों की शिकायत होती है कि सही तरीका अपनाने के बावजूद भी, कटिंग में जड़े नहीं आती हैं। ऐसे में अक्सर केमिकल रुचिंग हार्मोन्स इस्तेमाल करने की बजाय किचन में रखी चीजों का सहारा लिया जा सकता है।

सरल भाषा में समझे तो Rooting Hormone एक प्राकृतिक यौगिक होता है जो पौधों की कटिंग या कलमों में जल्दी मजबूत जड़ें विकसित करने में मदद करता है। इसके इस्तेमाल से कटिंग के सड़ने–सूखने की संभावना काफी ज्यादा कम हो जाती है। अगर यह आपके पास नहीं है तो किचन में रखी चीजों से भी नेचुरल रूटिंग हार्मोन बना सकते हैं।

कटिंग उगाने के लिए रुटिंग हार्मोन्स के लिए आप ऐलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते है। इसमें एंटी–बैक्टिरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं जो कटिंग को खराब होने से बचाते हैं।

कैसे इस्तेमाल करें– ऐलोवेरा की ताजी पत्ती का जेल और किसी बर्तन में अच्छे से मैश कर लें। अब कटिंग के निचले हिस्से को जेल में डुबोकर मिट्टी में न गाड़े। कटिंग में जेल लगाकर 5 मिनट के लिए छोड़ दें।

2– ऐलोवेरा–प्याज और दालचीनी का पेस्ट

अगर आप चाहते हैं कि कटिंग बिल्कुल फ्रेश और स्वस्थ रहे तो ऐलोवेरा–प्याज और दालचीनी का पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सख्त से सख्त टिंग में जड़े तेजी से निकाल देता है।

कैसे बनाएं– एक कटोरी एलोवरा जेल में 1 मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज और 24 घंटे पानी में भिगोया हुआ एक दालचीनी का टुकड़ा डालकर पेस्ट तैयार करें। कटिंग का निचले सर को पेस्ट में 5–10 मिनट तक डुबा रखें और सूखने पर मिट्टी पर लगा दें।

किचन में रखा हल्दी पाउडर केवल सब्ज में ही बल्कि कटिंग लगाने के भी काम आता है। इसमें नेचुरल एंटीबायोटिक–एंटी फंगल एजेंट गुण होते हैं जो फंगस को रोकने को काम करता है।

कैसे यूज करें – कटिंग के निचले और ऊफरी कटे हुए सिरे को पानी में हल्का गीला करें और हल्दी पाउडर से अच्छी से कोट कर दें।

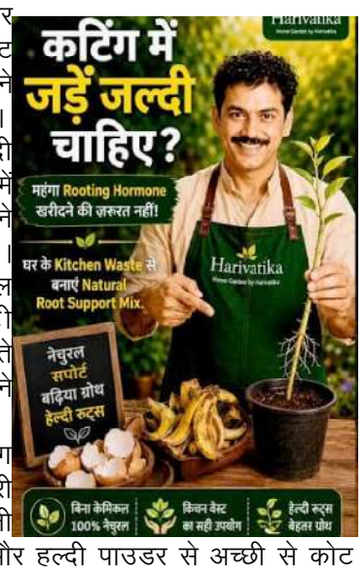

कटिंग को खराब होने से बचाने में दालचीनी का पाउडर भी अच्छा विकल्प है। यह न केवल जड़ों की विकास को उत्तेजित करता है बल्कि कटिंग को सड़ने से भी बचाता है। अमरूद–बोगनवेलिया जैसी सख्त लकड़ी वाली कटिंग्स के लिए यह बहुत फायदेमंद हैं।

कैसे इस्तेमाल करें– कटिंग के नीचे वाले हिस्से को पानी में भिगोकर दालचीनी पाउडर में डुबाएं ताकि पाउडर तने पर चिपक जाएं। इसके बाद मिट्टी में लगा दें।

कटिंग से बेहतर परिणाम की उम्मीद है तो आप 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच दालचीनी पाउडर का नुस्खा चुनें। एक बाउल में दोनों को बराबर मात्रा में मिला लें। इस मिश्रण को कटिंग में लगाने से जड़ों का विकास दो गुना तेजी से होता है।

इतिहास के पन्नों में 06 अगस्तः भारत में पहली टेस्ट ट्यूब बेबी के जन्म से चिकित्सा विज्ञान ने रचा नया इतिहास

नई दिल्ली, 05 अगस्त (हि.स.)।

भारतीय चिकित्सा विज्ञान के इतिहास में 06 अगस्त 1986 एक ऐतिहासिक दिन के रूप में दर्ज है। इसी दिन मुंबई के जसलोक अस्पताल में भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी (आईवीएफ शिशु) का जन्म हुआ। इस उपलब्धि ने देश में प्रजनन चिकित्सा के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत की।

मणि चावड़ा और उनके पति लंबे समय से संतान सुख की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन प्राकृतिक रूप से गर्भधारण संभव नहीं हो पा रहा था। इसके बाद उन्होंने प्रसिद्ध स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ इंदिरा हिंदुजा से परामर्श लिया। डॉ हिंदुजा ने उन्हें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) तकनीक अपनाने की सलाह दी।

इस प्रक्रिया के तहत प्रयोगशाला में शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन कर भ्रूण तैयार किया गया। 30 नवंबर 1985 को इस भ्रूण को मणि चावड़ा के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया गया। बाद में 06 जनवरी 1986 को अल्ट्रासाउंड जांच में गर्भधारण की पुष्टि हुई।

करीब नौ महीने बाद 06 अगस्त 1986 को सुबह लगभग 3.30 बजे मणि चावड़ा ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया, जिसका नाम हर्षा रखा गया। यह भारत में आईवीएफ तकनीक से जन्म लेने वाली पहली शिशु थीं। बाद के वर्षों में हर्षा स्वयं भी मां बनीं, जिसने इस तकनीक की सफलता और विश्वसनीयता को और मजबूत किया।

अन्य महत्वपूर्ण घटनाचक्र–1825– बोलीविया ने पेरू से स्वतंत्रता हासिल की।

1862– मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना।

1906– प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी चितरंजन दास और अन्य कांग्रेस नेताओं ने मिलकर 'वंदेमातरम' समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया।

1914– आस्ट्रिया द्वारा रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा

1926– अमेरिकी तैराक गेरट्रुड एडर्ल इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली महिला बनीं।

1945– जापानी नगर हिरोशिमा पर अमेरिका ने पहला परमाणु बम गिराया।

1960– क्यूबा ने देश की तमाम संपत्ति का राष्ट्रीयकरण किया।

1964– अमेरिका के नेवादा में विश्व के सबसे प्राचीन वृक्ष प्रोमेथस को काट दिया गया।

1990– पाकिस्तानी राष्ट्रपति गुलाम इसाक खान ने बेनजीर भुट्टो को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया।

1996– नासा ने मंगल पर जीवन होने की संभावना जताई।

1997– श्रीलंका ने बनाया था टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी का रिकॉर्ड।

2002 – भारत और पाकिस्तान में तनाव के कारण आस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान से अपने नागरिकों को वापस बुलाया।

2007– हंगरी के वैज्ञानिकों ने लगभग 80 लाख साल पुराने देवदार के वृक्ष का जीवाश्म प्राप्त करने का दावा किया।

2008– सर्वोच्च न्यायालय ने सिमी पर प्रतिबंध हटाने के विरुद्ध फैसले पर रोक लगाई।

2010– जम्मू और कश्मीर में अचानक आई बाढ़ से कम से कम 255 लोग मारे गए।

2012– नासा का क्यूरिओसिटी रोवर मंगल ग्रह पर पहुंचा।

आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सेवाओं पर लोगों का प्रत्यक्ष खर्च घटाने में अहम भूमिका निभाई

नई दिल्ली, 05 अगस्त।

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने बताया है कि आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना–एबी–पीएमजेएवाई ने स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले प्रत्यक्ष खर्च को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में श्री जाधव ने कहा कि इस वर्ष जून तक, 37 हजार से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों के नेटवर्क के माध्यम से इस योजना के तहत कुल 12.69 करोड़ अस्पताल प्रवेश स्वीकृत किए गए हैं, जिन पर 1.92 लाख करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।

श्री जाधव ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2022–23 के अनुसार, कुल स्वास्थ्य व्यय के अनुपात में प्रत्यक्ष खर्च 2014–15 में 62.6 प्रतिशत से घटकर 2022–23 में 43.4 प्रतिशत हो गया है। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण कमी दर्शाती है कि स्वास्थ्य में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि और योजना के विस्तार के कारण परिवारों को स्वास्थ्य देखभाल लागत का काफी कम हिस्सा सीधे अपनी जेब से वहन करना पड़ रहा है।

एबी–पीएमजेएवाई योजना आर्थिक रूप से कमजोर 12 करोड़ परिवारों को माध्यमिक और तृतीयक स्तर की अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है। मार्च 2024 में, इस योजना का विस्तार करते हुए इसमें मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायकों के लगभग 37 लाख परिवारों को शामिल किया गया।

अक्टूबर 2024 में इस योजना का और विस्तार किया गया, जिससे सामाजिक–आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना साढे चार करोड़ परिवारों से संबंधित 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को इसमें शामिल किया गया।

WHO-SEARN ने भारतीय फार्माकोपिया आयोग को फार्माकोविजिलेंस उत्कृष्टता केंद्र के रूप में दी मान्यता

नई दिल्ली, 05 अगस्त।

भारतीय फार्माकोपिया आयोग (आईपीसी) को विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण–पूर्व एशिया क्षेत्रीय नेटवर्क (WHO-SEARN) ने फार्माकोविजिलेंस में क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्र और दवाओं की गुणवत्ता के क्षेत्र में तकनीकी केंद्र के रूप में मान्यता दी है। यह उपलब्धि दक्षिण–पूर्व एशिया क्षेत्र में फार्माकोविजिलेंस, दवाओं की गुणवत्ता और नियामकीय क्षमता को मजबूत करने में भारत की भूमिका को रेखांकित करती है।

भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आने वाले आईपीसी ने 4–5 अगस्त 2026 को नेपाल के काठमांडू में आयोजित दक्षिण–पूर्व एशिया नियामक नेटवर्क (SEARN) की 10वीं वर्षगांठ बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में दक्षिण–पूर्व एशिया क्षेत्र के राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरणों, फार्माकोपिया और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में क्षेत्रीय सहयोग के एक दशक की उपलब्धियों की समीक्षा के साथ चिकित्सीय उत्पादों की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए नियामकीय प्रणालियों को मजबूत करने पर जोर दिया गया।

SEARN विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण–पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय (SEARO) द्वारा सदस्य देशों की नियामकीय प्रणालियों को मजबूत करने के लिए स्थापित सहयोगात्मक मंच है। 2016 में स्थापना के बाद से इस नेटवर्क ने ज्ञान साझा करने, नियामकीय प्रक्रियाओं में सामंजस्य, क्षमता निर्माण और नियामकीय निर्भरता तंत्र के माध्यम से राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरणों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया है।

SEARN गुणवत्ता आश्वासन, फार्माकोविजिलेंस, क्लिनिकल परीक्षणों की निगरानी, नियामकीय तैयारियों और चिकित्सा उपकरणों के नियमन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित विषयगत कार्य समूहों के जरिए काम करता है। इसका उद्देश्य पूरे क्षेत्र में सुरक्षित, प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उत्पादों की उपलब्धता को बेहतर बनाना है।

इस मान्यता से फार्माकोपियल विज्ञान और मानकों के क्षेत्र में आईपीसी की भूमिका को और मजबूती मिली है। साथ ही सदस्य देशों के बीच सहयोग, ज्ञान साझा करने और नियामकीय मानकों में सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में आईपीसी की प्रतिबद्धता भी रेखांकित हुई है। (इनपुटः पीआईबी)

संसद प्रश्नः इसरो के टक्कर बचाव अभियानों (सीएएम) के बारे में जानकारी

नई दिल्ली, 05 अगस्त।

निम्न पृथ्वी कक्षा–एलईओ यानी 2000 किलोमीटर से कम ऊंचाई पर मौजूद उपग्रह इस क्षेत्र में अधिक संख्या में अंतरिक्ष मलबे और अन्य अंतरिक्ष वस्तुओं की मौजूदगी के कारण टक्कर के खतरे के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। भारत के कुल 22 सक्रिय उपग्रहों में से एलईओ में मौजूद 20 सक्रिय उपग्रहों पर टक्कर का खतरा अधिक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने वर्ष 2025 में 20 और वर्ष 2026 में अब तक 9 टक्कर बचाव अभियान (सीएएम) किए हैं।

भारतीय अंतरिक्ष वस्तुओं से तीसरे पक्ष को होने वाले नुकसान के लिए राज्य की देयता और बीमा संबंधी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इन–स्पेस द्वारा तैयार किया गया "भारतीय अंतरिक्ष वस्तुओं से उत्पन्न तीसरे पक्ष के नुकसान के प्रति राज्य की देयता से संबंधित नीति ढांचा और दिशा–निर्देश" फिलहाल विचाराधीन है।

भारत अंतरिक्ष मलबे के प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ढांचे में एक सक्रिय भागीदार है। जैसे कि अंतर–एजेंसी मलबा समन्वय समिति (आईएडीसी), दीर्घकालिक स्थिरता पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह (यूएन–एलटीएस), अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता का विशेषज्ञ समूह (एसएसए), इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स (आईएए), अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन (एसटीएम) कार्य समूह (डब्ल्यूजी), अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री संघ (आईएएफ) अंतरिक्ष मलबा डब्ल्यूजी। ये संस्थाएं अंतरिक्ष मलबे को कम करने से जुड़े तकनीकी और नीतिगत मुद्दों पर काम करती हैं।

इसरो ने संशोधित आईएडीसी अंतरिक्ष मलबा शमन दिशानिर्देशों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और तकनीकी अध्ययनों के आधार पर इनपुट प्रदान किए हैं। अंतरिक्ष मलबे को कम करने की प्रतिबद्धता के अंतर्गत भारत ने वर्ष 2024 में मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन पहल की घोषणा की थी। इसरो का लक्ष्य निकट भविष्य में सरकारी और निजी क्षेत्र सहित सभी भारतीय अंतरिक्ष गतिविधियों से शून्य मलबा सुनिश्चित करना है।

वर्तमान में श्रीहरिकोटा स्थित मल्टी–ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रडार निम्न पृथ्वी कक्षा में बड़े आकार की वस्तुओं को ट्रैक करने में सक्षम है और इसका उपयोग अंतरिक्ष वस्तुओं की निगरानी के लिए किया जा रहा है। वहीं, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस परियोजना के अंतर्गत लद्दाख के हानले में स्थापित किया जा रहा ऑप्टिकल टेलीस्कोप लगभग पूरा होने वाला है। यह जी ई ओ ऊंचाई पर 30 सेंटीमीटर या उससे बड़ी वस्तुओं को ट्रैक करने में सक्षम होगा।

मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए पहली बार कई महत्वपूर्ण तकनीकों का विकास किया जा रहा है। इनमें बायोमेडिकल और जीवन रक्षक प्रणालियां भी शामिल हैं। ये तकनीकें विकास और जमीनी परीक्षण के विभिन्न चरणों में हैं। यह जानकारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

जहां पैरों के नीचे तैरते हैं बादल! अगली ट्रिप के लिए बेस्ट हैं भारत के ये हिल स्टेशन

नई दिल्ली, 05 अगस्त।

आसमान में बादलों को देखकर कभी न कभी हम सभी के मन में ख्याल आता है कि काश हम इन्हें छू सकते। सफेद बादलों को करीब से देखना एक ऐसा एक्सपीरिएंस है, जिसे इंसान कभी नहीं भूलता। अगर आप भी एक बार इस अनुभव को जीना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कहीं फॉरेन ट्रिप पर जाने की जरूरत नहीं है।

भारत में कुछ ऐसे हिल स्टेशन्स हैं, जहां आपको ऐसा लगेगा कि आप बादलों के बीच पहुंच गए हैं। इन हिल स्टेशन्स पर आपको ऐसा लगेगा, जैसे मानो आप हाथ बढ़ाकर बादलों को छू सकते हैं। आइए जानें इन हिल स्टेशन्स के बारे में।

चेरापूंजी और शिलॉन्ग– ये दोनों जगहें मेघालय में हैं और मेघालय का मतलब ही होता है मेघ का घर। शिलॉन्ग और चेरापूंजी में आपको ऐसा ही अनुभव होगा, जैसे आप बादलों के बीच पहुंच गए हैं। ये जगहें इतनी खूबसूरत हैं कि आपको लगेगा जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। शिलॉन्ग का नोहकलिकाई फॉल्स भी काफी खूबसूरत है, जो आपको जरूर देखना चाहिए। चेरापूंजी से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर मौसिनराम भी है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सबसे ज्यादा रेन फॉल के लिए जाना जाता है।

संडकफू– संडकफू पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची जगह है, जहां से कंजनजंगा, एवरेस्ट और मकालू जैसी चोटियां साफ नजर आती हैं। ये जगह ट्रेकर्स और प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यह भी आपको ऐसा लगेगा, जैसे आपके पैरों के नीचे बादल तैर रहे हैं।

मुन्नार– केरल में स्थित मुन्नार को दक्षिण भारत का कश्मीर भी कहा जाता है। यहां की पहाड़ियों पर सुबह के समय धूप और धुंध इतना खूबसूरत नजारा बनाते हैं, जिसे देखकर लगता है कि आप हाथों में बादलों को थाम सकते हैं। साथ ही, चारों ओर फैले चाय के बागान भी देखने में काफी खूबसूरत लगते हैं।

कुर्ग और नंदी हिल्स– कर्नाटक में स्थित कूर्ग और नंदी हिल्स में भी आपको ऐसा लगेगा, जैसे आप बादलों के बीच पहुंच गए हैं। कूर्ग को भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है और यहां के ताडियांडामोल पॉइन्ट पर पहुंच कर आपको कॉफी के बागानों के खूबसूरत नजारे और बादलों को करीब से देखने का एहसास हो सकता है।

बेंगलुरु के कुछ दूरी पर स्थित नंदी हिल्स पर सुबह के समय आपको खूबसूरत बादलों को देखने का मौका मिल सकता है। सूर्योदय के समय यहां का नजारा बेहद खूबसूरत हो जाता है और आपको ऐसा महसूस होगा, जैसे आपके आस–पास बादलों की सफेद चादर बिछ गई है।

सर्वोच्च न्यायालय ने आरबीआई को साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए एसओपी तैयार करने के निर्देश दिए

नई दिल्ली, 05 अगस्त।

देश में तेजी से बढ़ रहे साइबर वित्तीय अपराधों और तथाकथित डिजिटल अरेस्ट ठगी पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। शीर्ष अदालत ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों, विशेषकर म्यूल अकाउंट (ऐसे बैंक खाते जिनका इस्तेमाल ठगी की रकम को इधर–उधर करने के लिए किया जाता है) से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार कर सभी बैंकों में सर्कुलेट (प्रसारित) करने का निर्देश दिया।

शीर्ष अदालत ने आरबीआई को चार सप्ताह के भीतर बैंकों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) अपनाकर लागू करने का निर्देश दिया। साथ ही डिजिटल ठगी के पीड़ितों के लिए शिकायत निवारण, ठगी गई रकम वापस दिलाने की व्यवस्था और साझा दायित्व एवं मुआवजा ढांचा तैयार करने की संभावना पर भी विचार करने को कहा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच मामले में संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही है।

अदालत ने सभी राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश दिया कि साइबर धोखाधड़ी के पीड़ितों के लिए विकसित शिकायत निवारण और धन वापसी मॉड्यूल को जल्द से जल्द पूरी तरह लागू किया जाए। अदालत का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि साइबर ठगी के शिकार लोगों को उनकी शिकायतों के त्वरित समाधान और ठगी गई राशि वापस दिलाने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी और आसान हो।

देश में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट और साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को व्यापक दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थिति रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए कहा कि अब तक 36,290 मामलों में 18.05 करोड़ रुपये की ठगी गई राशि वापस कराई जा

चुकी है। इस प्रक्रिया में 57 बैंक तथा सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश शामिल रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को निर्देश दिया कि वह चार सप्ताह के भीतर सभी बैंकों के लिए ऐसी एसओपी लागू करे, जिसके तहत साइबर ठगी से जुड़े संदिग्ध बैंक खातों पर अस्थायी डेबिट होल्ड लगाया जा सके। अदालत ने कहा कि इस एसओपी में तीन प्रमुख प्रावधान अनिवार्य रूप से शामिल किए जाएं।शिकायत निवारण तंत्र, ठगी गई राशि वापस दिलाने का मॉड्यूल और इन दोनों व्यवस्थाओं के बारे में व्यापक जन–जागरूकता कार्यक्रम। साथ ही सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया गया कि वे अधीनस्थ अदालतों और बैंक खाते फ्रीज करने से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाले प्राधिकारियों को इन व्यवस्थाओं की जानकारी दें।

शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को चार सप्ताह के भीतर राज्य साइबर अपराध समन्वय केंद्र अधिसूचित कर उन्हें पूरी तरह कार्यशील बनाने का निर्देश दिया। साथ ही गृह मंत्रालय और I4C के सहयोग से ई–जीरो एफआईआर प्रणाली लागू करने को भी कहा। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि साइबर धोखाधड़ी की जांच के दौरान बैंक खाते फ्रीज करने से जुड़े मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित किया जाए, ताकि निर्दोष लोगों को अनावश्यक कठिनाई न हो।

केंद्र ने सरकारी अनुमोदित परीक्षण केंद्रों की मान्यता पाने के लिए मांगे ऑनलाइन आवेदन

नई दिल्ली, 05 अगस्त (हि.स.)।

केंद्र सरकार ने सरकारी अनुमोदित परीक्षण केंद्रों (जीएटीसी) के तौर पर मान्यता पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन 17 से 31 अगस्त तक आमंत्रित किए गए हैं। केंद्र सरकार ने विधिक माप विज्ञान अधिनियम–2013 के तहत श्सरकारी मान्यता प्राप्त परीक्षण केंद्रश (जीएटीसी) के तौर पर मान्यता प्राप्त करने के लिए पात्र उद्योगों, प्रयोगशालाओं, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई और परीक्षण सुविधा केंद्रों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं।विभाग के आधिकारिक पोर्टल emaap.gov.in/gatc के माध्यम से 17 अगस्त से 31 अगस्त तक आवेदन ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन जमा करने, शुल्क भुगतान, आवेदन ट्रैकिंग और आवेदकों के साथ संवाद सहित पूरी तरह से डिजिटल आवेदन प्रक्रिया की सुविधा मिलेगी।

उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि कानूनी मापन (सरकारी अनुमोदित परीक्षण केंद्र) नियमावली, 2013 में हाल में किए गए संशोधनों के बाद, मान्यता प्राप्त जीएटीसी अब स्वास्थ्य सेवा, ऊर्जा, परिवहन, खुदरा, विनिर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले वजन और माप उपकरणों की 23 श्रेणियों को सत्यापित करने के लिए अधिकृत हैं। अधिकृत श्रेणियों में पानी के मीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर (रक्तचाप मापने वाले यंत्र), नैदानिक थर्मामीटर, स्वचालित रेल वजन पुल, टेप माप तीसरी श्रेणी की सटीकता वाले गैर–स्वचालित वजन यंत्र (150 किलोग्राम तक) शुद्धता वर्ग III के गैर–स्वचालित वजन यंत्र, लोड सेल, बीम स्केल, काउंटर मशीनें सभी श्रेणियों का भार, गैस मीटर, ऊर्जा मीटर, नमी मीटर, वाहनों के लिए गति मीटर सांस विश्लेषक, बहुआयामी मापन उपकरण, प्रवाह मीटर, पेट्रोल और डीजल डिस्पेंसर सीएनजी डिस्पेंसर, एलपीजी डिस्पेंसर, एलएनजी डिस्पेंसर और हाइड्रोजन डिस्पेंसर शामिल हैं।

मंत्रालय ने कहा कि इसका मकसद देश की सत्यापन क्षमता को बढ़ाना, सत्यापन सेवाओं की सुलभता में सुधार करना और उद्योग के लिए तेजी से अनुपालन सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं के लिए सटीक माप सुनिश्चित करना इस पहल का उद्देश्य है।

आईआईटी रुड़की ने विकसित की नवीकरणीय अल्कोहलों से रसायन बनाने की सतत विधि

रुड़की, 05 अगस्त (हि.स.)।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के शोधकर्ताओं ने नवीकरणीय अल्कोहलों को उच्च–मूल्य रसायनों में बदलने की एक नई सतत उत्प्रेरक विधि विकसित की है। यह विधि दवाओं और उन्नत सामग्रियों में उपयोग होने वाले जटिल रसायनों के निर्माण के लिए स्वच्छ विकल्प देती है। यह शोध प्रतिष्ठित पत्रिका नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित हुआ है।

यह अध्ययन रसायन विज्ञान विभाग के प्रो. देबाशीष बनर्जी के नेतृत्व में किया गया। इसमें आईआईटी रुड़की के शोध छात्र आद्रिजा घोष और पुरुषोत्तम तथा कनाडा के मैकगिल विश्वविद्यालय के प्रो. चाओ–जुन ली ने सहयोग किया। टीम ने लिगैंड–सक्षम निकेल उत्प्रेरक का उपयोग कर जैव–आधारित अल्कोहलों को ट्राइसब्स्टीट्यूटेड ओलेफिन्स और 1,3–डाइन्स में बदला। ये दोनों रसायन औषधियों और उन्नत कार्बनिक सामग्रियों के महत्वपूर्ण आधारभूत अवयव हैं।

पारंपरिक संश्लेषण में कई चरण और महंगे उत्प्रेरक

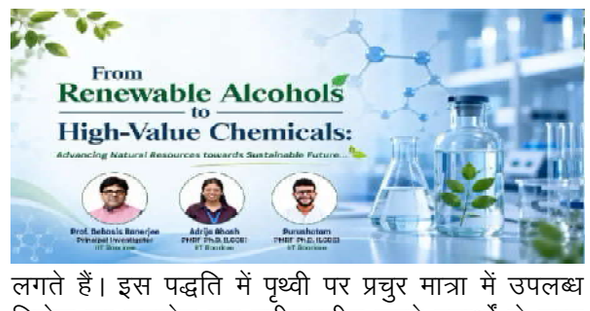

लगते हैं। इस पद्धति में पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध निकेल का उपयोग कर नवीकरणीय कच्चे पदार्थों से उच्च स्टीरियो–चयनात्मकता प्राप्त की गई। शोध में 27 ट्राइसब्स्टीट्यूटेड ओलेफिन्स और 23 उच्च–चयनात्मक 1,3–डाइन्स का सफल संश्लेषण किया गया।

आईआईटी रुड़की के निदेशक प्रो. के. के. पंत ने कहा कि यह शोध स्वच्छ और टिकाऊ प्रौद्योगिकियों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रो. बनर्जी ने कहा कि इसका उद्देश्य आसानी से उपलब्ध नवीकरणीय अल्कोहलों को किफायती उत्प्रेरक से जटिल अणुओं में बदलना था।

हेपेटाइटिस के खिलाफ भारत की मुहिम तेज, देशभर में मुफ्त जांच और दवाएं उपलब्ध

नई दिल्ली, 05 अगस्त।

भारत सरकार ने 2030 तक हेपेटाइटिस उन्मूलन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी मुहिम तेज कर दी है। सरकार राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत मुफ्त जांच, दवाओं और इलाज की सुविधाओं का विस्तार कर रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच सकें।

सरकार ने बताया कि 2018 में शुरू किए गए राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम को कई अन्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों से जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य संक्रमण की रोकथाम, समय पर जांच और जरूरतमंद मरीजों को मुफ्त उपचार उपलब्ध कराना है।

इस कार्यक्रम के तहत हेपेटाइटिस A, B, C, D और E की रोकथाम, जागरूकता, जांच और उपचार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मरीजों की निगरानी और उपचार के लिए पेपरलेस NVHCP-MIS पोर्टल का भी उपयोग किया जा रहा है।

सरकार के अनुसार, हेपेटाइटिस A और E के मामले आमतौर पर अचानक सामने आते हैं और इनकी निगरानी इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम के जरिए की जाती है। वहीं हेपेटाइटिस B और C से संक्रमित लोगों को मुफ्त जांच और दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

2021 HIV सेंटिनल सर्विलांस के आंकड़ों के मुताबिक, जांच किए गए लोगों में 0.85 प्रतिशत हेपेटाइटिस B और

0.29 प्रतिशत हेपेटाइटिस C से संक्रमित पाए गए। यानी लगभग 118 में एक व्यक्ति हेपेटाइटिस B और 345 में एक व्यक्ति हेपेटाइटिस C से संक्रमित मिला।

गर्भवती महिलाओं की हेपेटाइटिस B की सार्वभौमिक जांच भी की जा रही है। साथ ही सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत सभी नवजात शिशुओं को जन्म के 24 घंटे के भीतर हेपेटाइटिस B का टीका लगाया जा रहा है। यदि मां संक्रमित है, तो नवजात को हेपेटाइटिस B इम्युनोग्लोब्युलिन भी दिया जाता है।

सरकार ने जानकारी दी कि हेपेटाइटिस से जुड़ी जानकारी और सहायता के लिए टोल–फ्री हेल्पलाइन 1800–11–6666 भी उपलब्ध है, जहां संक्रमण, बचाव, इलाज और देशभर में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी दी जाती है।– (इनपुटःएजेंसी)